बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड

(निबंधित कार्यालय : प्रथम तल, विद्युत् भवन, बेली रोड, पटना)

Website:-www.bsphcl.bih.nic.in

DEPARTMENT OF HR & ADMINISTRATION

संकल्प

संकल्प संख्या– H-V/Adop-DA-10005/2017 72 /पटना दिनांक 27/10 /2018

विषयः– पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसके अनुषंगी कम्पनियों के कर्मियों को दिनांक-01.07.2018 के प्रभाव से 7 प्रतिशत के स्थान पर 9 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या/ज्ञापांक-7828/वि० दिनांक-24.10.2018 के द्वारा दिनांक-01.07.2018 के प्रभाव से राज्य सरकार के कर्मियों को महंगाई भत्ता की दर 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

2. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा अपने एवं अनुषंगी कम्पनियों के कर्मियों को महंगाई भत्ता की स्वीकृति राज्य सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

3. उक्त के आलोक में विद्युत कम्पनी द्वारा सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि-

(i) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे विद्युत कर्मियों को दिनांक-01.07.2018 के प्रभाव से 7 प्रतिशत के स्थान पर 9 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

<u>अवधि</u>	<u>अतिरिक्त महंगाई भत्ते की दर (पुनरीक्षित वेतन का प्रतिशत)</u>
01.07.2018	2 (दो) प्रतिशत (अर्थात कुल 7% + 2%) = 9 (नौ) प्रतिशत।

(ii) पुनरीक्षित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' का तात्पर्य पे-मैट्रिक्स में विहित वेतन स्तर में आहरित किए जाने वाले वेतन से है। इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायेगा।

(iii) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा तथा 50 से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त महंगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा। कम्पनी के पदाधिकारियों जिनके मामले में प्राधिकार पत्र की अपेक्षा है, को प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जायेगा।

4. उक्त बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता दिनांक-01.07.2018 से भुगतेय है और इसका भुगतान अक्टूबर, 2018 के वेतन में जोड़कर होगा, परन्तु उसके पूर्व के महीनों के लिए आकलित बकाये राशि का भुगतान माह नवम्बर, 2018 में किया जायेगा।

आदेशानुसार,

27/10

(राजीव रंजन सिन्हा)

महाप्रबन्धक (मा०सं०/प्रशा०)

ज्ञापांक 73 / पटना दिनांक 27/10 /2018

प्रतिलिपिः-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के (विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान आप्त सचिव/तकनीकी सचिव)/निदेशव (मा०सं०) के प्रधान आप्त सचिव, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूश

कम्पनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक क विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

23/10/1

(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबन्धक (मा०सं०/प्रशा०)

ज्ञापांक 73 / पटना दिनांक 27/10/ /2018

प्रतिलिपिः- सभी निदेशक/सभी महाप्रबन्धक (मा०सं०/प्रशा०)/सभी महाप्रबन्धक-सह-मुख्य अभियंता/सभी मुख्य अभियंता/सभी महाप्रबन्धक (राजस्व)/महाप्रबन्धक(वित्त एवं लेखा)/परियोजना प्रबंधक/सभी उप महाप्रबन्धक-सह-विद्युत अधीक्षण अभियंता/सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता/सभी उप महाप्रबन्धक (मा०सं० /प्रशा०)/सभी उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)/उप महाप्रबन्धक (कार्मिक)/उप महाप्रबन्धक (जनसम्पर्क)/उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी (मा०सं०/प्रशा०)/विधि परामर्शी/सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक)/उप विधि परामर्शी/सभी वरीय प्रबंधक /सभी लेखा पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/कम्पनी सचिव, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना एवं इसके सभी अनुषंगी कम्पनियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

23/10/

(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबन्धक(मा०सं०/प्रशा०)

ज्ञापांक 73 / पटना दिनांक 27/10 /2018

प्रतिलिपिः- आवासीय अभियंता, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड अतिथिशाला, नई दिल्ली/कोलकाता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/10/

(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबन्धक(मा०सं०/प्रशा०)

ज्ञापांक 73 / पटना दिनांक 27/10/ /2018

प्रतिलिपिः- उप महाप्रबंधक (आई०टी०)/डाटा बेस एडमिनिस्टेटर, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उक्त संकल्प को बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के बेवसाइट पर अपलोड किया जाय।

23/10/

(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबन्धक (मा०सं०/प्रशा०)